27/7/2022

पण्डरायल

पत्रावली पेश हुई। वकील वादिगण व
प्रतिवादी नं. 3 व 4 की बहस सुनी गई।
वादी वादिगण ने डिक्री किया जाने हेतु निम्न
बिन्दु पृथक रूप से लिखाया कराकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसले
मुकर्रर कर वाद वकील नजर से
बाद होकर आदेश पारित पश्चात है।

उपखण्ड अधिकारी
पण्डरायल (जिला करौली)